

ज्ञापांक-786/तक0 / 2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-03वीं मार्च 2020

सेवा में,

Ravindra Nath Jha,
Bambambaba Colony,
Bhurbhura More,
Deoghar, Jharkhand.

विषय:- मौज़ा-झौसागढ़ी, प्लॉट नं०-4 & 5, खाता नं०-23, वार्ड नं०-22, थाना नं०-528, जिला-देवघर में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिले भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिले भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-64 दिनांक-26.02.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिले भवन B+G+4 हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 25,000 हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के दोनों मुख्य स्टेयरकेस लंबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक-एक पेट सर्जिजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
4. प्रस्तावित भवन के परिसर के सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट तल को स्वाचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित रखा जाय। जिसमें दूरी मानक से अधिक न हो।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 450 Lpm क्षमता का एक-एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से ही कराया जाय।
9. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
11. प्रस्तावित आवासीय भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 01-01 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 01-01 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

PARAS GRIH NIRMAN

Yogendra Pandey

PARTNER

13. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
14. प्रस्तावित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. प्रस्तावित भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
16. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
17. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cf
af87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b
044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.03.03 12:41:39 +05'30'

(बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य आग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

PARAS GRIH NIRMAN

PART